NOT FOUND

पत्रांकः– वन भूमि–14 / 2022..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– 400KV डबल सर्किट (क्वार्ड मूस) लिलो ऑफ किशनगंज–दरभंगा 400KV, लाईन ऑफ पावर ग्रिड एट सहरसा (New Loop in & loop out both) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1904 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, सहरसा द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित पारेषण लाईन राज्य के दो वन प्रमंडलों सहरसा एवं सुपौल से होकर गुजरेगी। विषयांकित परियोजना में 2.1904 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	यथावत परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
					वृक्ष	बाँस
1	सहरसा	1.5824	388	69	50	90
2	सुपौल	0.608	64	0	72	673
	कुल	2.1904	452	69	122	763

प्रासंगिक परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 452 वृक्षों को Translocate, 69 वृक्षों को यथावत परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने एवं 122 वृक्षों सहित 763 बाँस के पातन का प्रस्ताव है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 452 वृक्षों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देश में Translocate कराया जायेगा एवं 122 वृक्षों सहित 763 बाँस को पातित किया जाना आवश्यक है।

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व क्रमशः सहरसा वन प्रमंडल एवं सुपौल वन प्रमंडल के लिए क्रमशः 0.4 से कम एवं 0.75 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव में Geo referenced Map एवं टोपो सीट संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–2.1904 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.3808 हे0 अर्थात 4.508 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल जमुई के चकाई वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत गरगरो PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है। प्रस्तावित पारेषण लाईन पथ तट, एवं बाँध तट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से हो कर गुजरती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल तथा वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना निर्माण में सहरसा जिलान्तर्गत 1.5824 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिए नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,15,591/– (पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ इक्यानवे रूपये) मात्र एवं सुपौल जिलान्तर्गत 0.608 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिए नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 13.57110 लाख प्रति हे० के दर से रू० 8,25,123/– (आठ लाख पचीस हजार एक सौ तेईस रूपये) मात्र इस प्रकार परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिए NPV के मद में कुल रू० 23,40,714/– (तेईस लाख चालीस हजार सात सौ चौदह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.1904 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 4.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि गरगरो सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 19,48,260/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देख-रेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-14/2022................../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक...

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-14/2022 208 (वि०)/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

16/3/2022
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

Van Bhumi:- 14/2022

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 2.1904 ha. forest land for construction of 400KV D/C Quad Kishanganj-Darbhanga Transmission Line in Saharsa and Supaul District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 16/3/2022

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:-

अपर सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना